न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/377

मिसल नम्बर– 56 / 2025

रवीन्द्र सिंह आत्मज स्व0 रामसिंह आयु 80 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नं0 218 सेक्टर 4 रंगबाड़ी मेन रोड केशवपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.विनय कुमार सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह आयु 57 वर्ष
2.बृजेश सिह आत्मज रवीन्द्र सिंह निवासीगण मकान नं0 218 सेक्टर 4 रंगबाड़ी मेन रोड केशवपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थिति:–

1.श्री तेजसिंह दाभाई प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री ओ0पी0 सिंह अप्रार्थी नं0 1 अधिवक्ता
3.श्री मा0 रईस खान अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है एवं अधिकतर समय बीमार रहता है तथा अपनी पत्नी के साथ उपर वर्णित पते पर निवास करता है तथा उक्त मकान तीन मंजिला है जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर दो कमरे व दो दुकाने बनी है। एक दुकान खाली है तथा एक किराये पर दी हुयी है। प्रथम तल पर तीन कमरे बने है दो कमरे किराये पर है तथा एक कमरा मेरे व मरी पत्नी के निवास के लिए रखा हुआ है। उक्त मकान के ग्राउण्ड पलोर मे एक कमरा व एक कमरा प्रथम तल पर अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी का छोटा पुत्र अपनी पत्नी व बच्चे के साथ निवास करता है तथा अप्रार्थी क्रम 2 की पत्नी फेफडो की बीमारी से ग्रसित है जो हर समय आक्सीजन पर रहती है तथा अप्राथी क्रम 2 अपनी पत्नी के साथ साथ प्रार्थी व उसकी पत्नी का भी ध्यान रखता है तथा सेवा करता है। अप्रार्थी क्रम 1 जो प्रार्थी का बडा पुत्र है जो अपनी पत्नी रिनेश सिंह के साथ उपर वर्णित मकान के द्वितीय तल पर निवास करता है तथा अप्रार्थी कम 1 का पुत्र जयन्त सिह ग्राउण्ड फ्लोर के एक कमरे मे निवास करता है जो आए दिन प्रार्थी व उसकी पत्नी से लडाई झगडा करते है गाली गलौच करते है तथा उपरोक्त मकान का बंटवारा करने की धमकी देते है तथा प्रार्थी से कहते है कि तुम कहीं जाओ मुझे मतलब नही है मुझे तो उक्त मकान का बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दो हिस्सों मे कर दो तथा आए दिन इसी बात को लेकर लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी को अपशब्द कहते है। दिनाक 2–7–2025 को सुबह 7.45 बजे अप्रार्थी क्रम 1 आया और मकान के अंदर आते ही किरायेदार स्टूडेन्ट से कहा कि मैने तुमसे दिनांक 1–7–2025 तक उक्त मकान खाली करने को कहा था लेकिन तुमने अभी तक मकान खाली नही किया इस पर प्रार्थी व उसकी पत्नी अप्रार्थी क्रम 1 को समझाने लगे तो अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को धक्का दे दिया तथा उसके बाद प्रार्थी व उसकी पत्नी ने दुबारा समझाने की कोशिश की तो अप्रार्थी कम 1 की पत्नी व उसका पुत्र लडाई झगडा करने पर उतारू हो गए तथा अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी की पत्नी को जेर से आंख पर मुक्का मारा जिससे वह जमीन पर गिर गयी और उसकी आंख में गंभीर चोट कारित हो गयी तथा नीचे गिरने पर भी अप्रार्थी क्रम 1 उसकी पत्नी व पुत्र ने प्रार्थी की पत्नी के जोर से पैर मरोडे तो प्रार्थी की पत्नी जोर से चिल्लायी व रोने लगी जिसका भी अप्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी व पुत्र पर कोई असर नही हुआ और मारते रहे प्रार्थी को धमकी दी कि इस घर से निकल जा तुम्हारी भलाई इसी मे है नही तो आए दिन इसी तरह लडाई झगडे होते रहेंगे। इस पर प्रार्थी ने अपने छोटे पुत्र अप्रार्थी क्रम 2 को फोन कर बुलवाया तत्पश्चात अप्रार्थी क्रम 2 व उसकी पत्नी व उसका पुत्र बीच बचाव कर समझाने का प्रयास किया तो उससे कहा तु बीच मे से हट जा तत्पश्चात प्रार्थी ने पुलिस को फोन कर बुलाया पुलिस आने पर पुलिस अप्रार्थी क्रम 1 को पकडकर थाने ले गयी तथा उसे लडाई झगडा नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त मकान प्रार्थी की स्वंय की संपत्ति है तथा प्रार्थी उपरोक्त मकान का मालिक चला आ रहा है जिसे समस्त मालिकाना अधिकार प्राप्त है प्रार्थी उपरोक्त वर्णित मकान मे अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को नही रखना चाहता तथा उक्त मकान से बेदखल करना चाहता है जिसके लिए अन्य विकल्प नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से जान माल का खतरा है अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नी व उसका पुत्र प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर अमादा रहते है तथा भविष्य में कोई अप्रिय घटना कारित ना हो इसलिए प्रार्थी उपरोक्त मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल किए जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिपक्षी कम 1 एवं उसका पुत्र जयंत सिंह न तो कभी प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करते है एवं न कभी अपशब्द बोलते है। प्रतिपक्षी कम 1 58 वर्षीय एक शांतिप्रिय नागरिक है जो स्वयं वरिष्ठ नागरिक होने जा रहा है। एवं अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करना या अपशब्द बोलना प्रति पक्षी के कल्पना से भी परे हे। यहाँ माननीय न्यायालय को इस सत्य से अवगत कराना उचित होगा कि जिस मकान के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस मकान का तीन वर्ष पूर्व पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा हो

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चुका है जिसके अनुसार प्रतिपक्षी क्रम–1 व प्रतिपक्षी क्रम–2 अपने–अपने भाग पर काबिज एंवम निवासरत हैं। प्रार्थी स्वयं इस मकान पर निवास नहीं करते हैं बल्कि वह तो आंवली रोझड़ी स्थित मकान पर निवास करते है, यदा कदा प्रतिपक्षी क्रम 2 से ही मिलने आते हैं। प्रतिपक्षी क्रम 2 व प्रार्थी के मध्य दुरभि संधि है और प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थी के साथ मिलकर षड़यंत्र पूर्वक प्रतिपक्षी क्रम 1 से मकान खाली कराने पर आमादा है जबकि वह अपने हिस्से पृथक से काबिज है। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा सन 1980 से शारीरिक रूप से मकान के निर्माण में सहयोग किया और 1988 से शारीरिक व आर्थिक रूप से मकान के निर्माण व विकास में सहयोग किया। यही नहीं प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा इस मकान के निर्माण के लिए वर्ष 2005 में ऋण लिया तथा प्रथम तल व द्वितीय तल का निर्माण कराया क्योंकि उस समय प्रार्थी की सन 1997 में जे.के फैक्ट्री बंद हो गई थी और प्रार्थी बिना किसी भुगतान के ही नौकरी छूट गई थी। यहाँ माननीय न्यायालय को इस सत्य से अवगत कराना उचित होगा कि 06–02–2025 को प्रतिपक्षी क्रम 1 की पुत्री का विवाह प्रस्तावित था इस कारण प्रतिपक्षी क्रम 1 को मकान में आवश्यकता होने से किरायेदार को मकान खाली करने के लिए लगभग दो माह पहले से ही कह रखा था। किरायेदार ने प्रतिपक्षी क्रम 1 को कह दिया था कि वह मकान खाली कर देगा किन्तु प्रतिपक्षी क्रम 2 व प्रार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होने पर जानबूझ कर किरायेदार को बरगला दिया और उसे मकान खाली करने को मना कर दिया। किरायेदार ने मकान खाली नहीं किया जिससे प्रतिपक्षी क्रम 1 को अपनी पुत्री के विवाह में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जून 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रार्थी अपनी पत्नी सहित आंवली रोझड़ी के मकान पर ताला लगाकर प्रतिपक्षी क्रम 2 के साथ आकर निवास करने लगे। जिस दिनांक की घटना का प्राथी ने हवाला दिया है उस दिन भी प्रतिपक्षी क्रम 1 किरायेदार से बाते कर रहा था। प्रार्थी स्वयं द्वारा किरायेदार के साथ मिलकर प्रतिपक्षी क्रम 1 से लड़ाई झगडा किया और स्वयं वरिष्ठ नागरिक व श्रमिक नेता होने का फायेदा उठाते हुए प्रार्थी के विरुद्ध ही झूठी शिकायत कर दी। यह मद अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि यदि प्रार्थी व उसकी पत्नी को गंभीर चोट व क्षति कारित होती तो अवश्य ही पुलिस मेडिकल मुआयना कराती। यहाँ यह न्यायोचित होगा कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होती तो प्रार्थी व उसकी पत्नी स्वयं पैदल ही थाने गए थे गंभीर चोट व क्षति कारित होने पर सामान्य क्रम में व्यक्ति पहले प्राथमिक ईलाज कराता है। इस प्रकार यह मद पूर्णतः असत्य एंव निराधार कथनों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थी की self-acquire property नहीं है बल्कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी व उसके परिवारजनों अर्थात प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 व उनकी माता संयुक्त रूप से काबिज होने के कारण उनके निवास के लिए ही आवंटित हुआ था। और प्रतिपक्षी क्रम 1 ने बैंक से कर्जा लेकर उक्त पारिवारिक पट्टे शुदा जमीन पर स्वयं निर्माण करवाया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूखंड व मकान प्रार्थी की स्व अर्जित संपति नहीं है। प्रार्थी प्रतिपक्षी क्रम 2 के साथ दुरभि संधि कर षड्यंत्र पूर्वक प्रतिपक्षी क्रम 1 से मकान खाली करवाना चाहता है तथा मकान प्रतिपक्षी क्रम 2 को देना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चाहता है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी नं0 1 अप्रार्थी नं0 2 की पत्नी को कहता है कि बदतमीज औरत यहां से निकल जाओ। प्रार्थन पत्र में वर्णित तथ्य अप्रार्थी नं0 2 की पत्नी बीच बचाव करने आयी अस्वीकार है शेष तथ्य स्वीकार है। पुलिस आने पर अप्रार्थी नं0 2 की पत्नी ग्राउण्ड फ्लोर पर घर में लड़ाई झगड़े के कारण रो रही थी अप्रार्थी नं0 2 की माता बिट्टा देवी हार्ट पेशेन्ट है जिनके पेसमेकर लगा हुआ है बावजूद इसके अप्रार्थी नं0 1 द्वारा बिट्टा देवी के साथ मारपीट की गयी। अप्रार्थी नं0 2 प्राथी व उसकी पत्नी की सेवा करता है तथा अप्रार्थी नं0 2 अपने ई एस आई कार्ड से प्रार्थीगण माता पिता का इलाज करवाता हे तथा अप्रार्थी नं0 2 की माता के जो पेसमेकर लगा है वह भी अप्रार्थी नं0 2 ने अपने ई एस आई कार्ड से लगवाया था तथा अप्रार्थी नं0 2 अपने माता पिता की सेवा करता चला आ रहा है। अप्रार्थी नं0 2 द्वारा लड़ाई झगड़ा करना अस्वीकार है। अप्रार्थी नं0 2 प्रार्थीगण माता पिता की सेवा करता है तथा ई एस आई कार्ड से उनका इलाज करवाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर न्यायोचितत आदेश पारित करे।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई अतः बहस का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी की पत्नी को जेर से आंख पर मुक्का मारा जिससे वह जमीन पर गिर गयी और उसकी आंख में गंभीर चोट कारित हो गयी तथा नीचे गिरने पर भी अप्रार्थी क्रम 1 उसकी पत्नी व पुत्र ने प्रार्थी की पत्नी के जोर से पैर मरोडे तो प्रार्थी की पत्नी जोर से चिल्लायी व रोने लगी जिसका भी अप्रार्थी क्रम 1 व उसकी पत्नी व पुत्र पर कोई असर नही हुआ। प्रार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में नकल इस्तगासा परिवाद की प्रति पेश की है। प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी व उसकी पत्नी को गंभीर चोट व क्षति कारित होती तो अवश्य ही पुलिस मेडिकल मुआयना कराती। यहाँ यह न्यायोचित होगा कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होती तो प्रार्थी व उसकी पत्नी स्वयं पैदल ही थाने गए थे गंभीर चोट व क्षति कारित होने पर सामान्य क्रम में व्यक्ति पहले प्राथमिक ईलाज कराता है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा यह भी कथन किया है कि प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी उपरोक्त वर्णित मकान में निवास नही करते है बल्कि आंवली रोझड़ी स्थित मकान में निवास करते है। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस के कथनों पर मनन करने पर हम पाते है कि अप्रार्थी न0 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो का प्रार्थी की ओर से बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से इस तथ्य पर पूर्ण रूप से अविश्वास नही किया जा सकता है कि प्रार्थी के आवंली

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रोझड़ी स्थित मकान में निवास करते है। प्रार्थी की ओर से उक्त मकान के स्वामित्व के सम्बंध में आवंटन पत्र की प्रति पेश की है एवं कथन किया है कि उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि वर्णित मकान प्रार्थी की self-acquire property नहीं है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ने बैंक से कर्जा लेकर उक्त पारिवारिक पट्टे शुदा जमीन पर स्वयं निर्माण करवाया है। परन्तु अप्रार्थी नं0 1 द्वारा बैंक लोन से सम्बंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है जिस कारण से अप्रार्थी नं0 1 का उक्त माने जाने योग्य नही है। आवंटन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त मकान से आवंटन प्रार्थी के पक्ष में हुआ है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा मकान के स्वामित्व के सम्बंध में किया गया कथन उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा मारपीट के सम्बंध में इस्तगासा की प्रति पेश की जिसमें सम्बंधित थानाधिकारी द्वारा अप्रार्थी नं0 1, रिनेश सिंह एवं जयंत सिंह को 6 माह तक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के साथ गम्भीर चोट कारित की है परन्तु प्रार्थी की ओर से चोट के सम्बंध में कराये गये मेडिकल मुआयना की कोई रिपोर्ट पेश नही की है जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा प्रार्थी के साथ गम्भीर रूप से मारपीट की गई है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 218 सेक्टर 4 रंगबाड़ी मेन रोड केशवपुरा कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है भविष्य में अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। चूंकि उक्त मकान प्रार्थी के स्वामित्व में है अतः अप्रार्थी नं0 1 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त मकान में निवास हेतु 2,000/– रूपये प्रति कमरा अनुसार राशि का भुगतान प्रार्थी को करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा